



जनसूचना विभाग

नगर पालिक निगम भिलाई

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)



➤ सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदक द्वारा जनसूचना अधिकारी के नाम एवं पदनाम से सादे कागज में आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। आवेदन पत्र डाक से भी भेज सकते हैं।

➤ आवेदन शुल्क के रूप में 10.00 (दस रूपये) का नानज्यूडीशियल स्टाम्प/पोस्टल आर्डर/बैंक चेक/नगद के रूप में संलग्न कर जमा कर सकते हैं।

➤ अभिलेख की छायाप्रति देने पर A3 एवं A4 आकार में 2.00 (दो रूपये) प्रति पृष्ठ की दर तथा बड़े आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ का वास्तविक या लागत मूल्य एवं नमूना अथवा मॉडल के लिए वास्तविक या लागत मूल्य शुल्क के रूप में प्रावधानिक है।

➤ अभिलेख के निरीक्षण के लिए लोक प्राधिकरण पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा, किन्तु उसके बाद प्रत्येक घण्टे (या उसके खण्ड) के लिए पांच रूपये का शुल्क के रूप में प्रावधान है।



जनसूचना विभाग

नगर पालिक निगम भिलाई

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)



आवेदक को आवेदन दिनांक से 30 दिवस के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

आवेदन शुल्क के रूप में 10.00 (दस रूपये) का नानज्यूडीशियल स्टाम्प/पोस्टल आर्डर/बैंक चेक/नगद के रूप में संलग्न कर जमा कर सकते है।

प्रथम अपील आवेदन

30 दिन में सूचना न मिलने पर या प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

आवेदन शुल्क के रूप में 50.00 (पचास रूपये) का नानज्यूडीशियल स्टाम्प/पोस्टल आर्डर/बैंक चेक/नगद के रूप में संलग्न कर जमा कर सकते है।



द्वितीय अपील आवेदन



प्रथम अपील अधिकारी द्वारा उसके अपील का निपटारा ना किये जाने से द्वितीय अपील हेतु राज्य सूचना आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर के नाम एवं पदनाम से सीधे आयोग के समक्ष द्वितीय अपील हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र डाक से भी भेजे जा सकते है।

आवेदन शुल्क के रूप में 100.00 (सौ रूपये) का नानज्यूडीशियल स्टाम्प/पोस्टल आर्डर/बैंक चेक/नगद के रूप में संलग्न कर जमा कर सकते है।

धन्यवाद